भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5887

गुरूवार, 2 मई, 2013

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड का पुनरूद्धार

5887. श्री वैजयंत पांडा:

श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए तैयार किए गए पुनरूद्धार कार्यक्रम की कार्यविधि को अंतिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इससे मौजूदा कार्यरत मजदूरों की रोजगार स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रफुल पटेल)

(क) जी, हां।

(ख) सरकार ने स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड (एसआईएल) के लिए निम्नलिखित पुनरुद्धार प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है:-

i. पूंजीगत व्यय के लिए इक्विटी के रूप में 70.38 करोड रुपए का निवेश।

ii. कार्यशील पूंजी के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 20 करोड़ रुपए उपलब्ध कराना।

iii. 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार 1.93 करोड़ रुपए के योजना ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करना।

iv. 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार 83.28 करोड़ रुपए के बकाया गैर योजना ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करना।

v. 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार 22.17 करोड़ रुपए के अर्जित और देय ब्याज का अधित्याग करना।

vi. 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार 4.20 करोड़ रुपए के अर्जित और देय नहीं ब्याज का अधित्याग करना।

vii. सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष से बढाकर 60 वर्ष करना।

viii. लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार 2007 के वेतन संशोधन का कार्यान्वयन।

(ग) और (घ) एसआईएल के कर्मचारियों की अधिवर्षिता आयु 58 वर्ष से बढाकर 60 वर्ष कर दी गई है।

*****